न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 2839–दो/13 विरूद्ध आदेश दिनांक 7–6–2012 पारित द्वारा नायब तहसीलदार, इन्दौर प्रकरण कमांक 331/अ–12/2011–12.

श्रीमती रूकमा पति कंचनसिंह
निवासी ग्राम रंगवासा
तहसील व जिला इन्दौर .....आवेदिका

विरूद्ध

1– श्रीमती धापूबाई पति मदनलाल राठौर
2– कैलाश पिता मदनलाल राठौर
3– शिवनारायण पिता मदनलाल राठौर
4– अशोक पिता मदनलाल राठौर
5– सुशीलाबाई पिता मदनलाल राठौर
6– शारदाबाई पिता मदनलाल राठौर
निवासीगण ग्राम पेट्रोल पम्प के पास,
जोशी किराना स्टोर्स के सामने रंगवासा
तहसील व जिला इन्दौर
7– ग्राम पंचायत रंगवास द्वारा सरपंच
ग्राम पंचायत रंगवासा
तहसील व जिला इन्दौर .....अनावेदकगण

श्री बी0के0 गुप्ता, अभिभाषक, आवेदिका
श्री धर्मेन्द्र यादव, अभिभाषक, अनावेदक क. 1 लगायत 6

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 18/5/16 को पारित)

आवेदिका द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत नायब तहसीलदार, इन्दौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 7–6–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक कमांक 2 द्वारा अपर तहसीलदार, इन्दौर के समक्ष उसके भूमिस्वामी स्वत्व की ग्राम रंगवासा स्थित भूमि सर्वे कमांक 639 रकबा 0.587 हेक्टेयर के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । नायब तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 331/अ–12/2011–12 दर्ज कर प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन कराया जाकर दिनांक 7–6–2012 को सीमांकन आदेश पारित किया गया । नायब तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) ग्राम रंगवासा की प्रश्नाधीन भूमि सर्वे कमांक 639/12 रकबा 0.506 राजस्व अभिलेखों में आवेदिका के नाम दर्ज होकर उस पर मकान बना हुआ है एवं आवेदिका द्वारा जनहित में रोड बनाने हेतु भूमि ग्राम पंचायत को दी गई है ।

(2) तहसील न्यायालय द्वारा सीमांकन कार्यवाही में पड़ोसी कृषकों को किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई है ।

(3) राजस्व निरीक्षक को सीमांकन में पुराने चॉदे ढूड़कर नप्ती करना चाहिए थी, परन्तु मेड़ों को स्थाई चिन्ह मानकर नप्ती की गई है, जो विधि विपरीत है । सीमांकन प्रतिवेदन में चॉदे ढूढ़ने का कोई उल्लेख नहीं है ।

(4) राजस्व निरीक्षक द्वारा मौके पर नाला पाया गया है, परन्तु पंचनामा एवं प्रतिवेदन में नाले का कोई उल्लेख नहीं किया गया है, साथ ही प्रश्नाधीन भूमि के आसपास किस–किस की भूमियां हैं, इसका कोई उल्लेख पंचनामा में नहीं किया गया है ।

(5) संहिता की धारा 124 के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम की सीमायें तथा स्थाई चिन्ह द्वारा ही सीमांकन किया जाना चाहिए, परन्तु राजस्व निरीक्षक द्वारा संहिता की धारा 124 एवं 129 के प्रावधानों का बिना पालन किये सीमांकन किया गया है जो निरस्त किए जाने योग्य है ।

तर्को के समर्थन में 2014 आरएन 69 एवं 2014 आरएन 303 के न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

4/ अनावेदक कमांक 1 लगायत 6 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत पड़ोसी कृषकों को सूचना दी जाकर सीमांकन कराया जाकर आदेश पारित किया गया है, जो कि विधिसंगत है ।

(2) सर्वे कमांक 634/13 पर आवेदिका का किसी प्रकार का कोई मकान नहीं बना है, क्योंकि आवेदिका के पति द्वारा सर्वे कमांक 634/12 रकबा 0.506 हेक्टेयर पर अवैध कॉलौनी काटकर भूमि का विकय किया जा चुका है । ऐसी स्थिति में सीमांकन कार्यवाही में आवेदिका को सूचना देना आवश्यक नहीं था।

(3) तहसील न्यायालय द्वारा जिस नाले का उल्लेख किया गया है, उसे दबाते हुए आवेदिका के पति द्वारा प्लाट का विकय किया गया है, इसलिए राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी द्वारा संबंधित पक्षकारों को नोटिस जारी कर सीमांकन किया जाकर सीमांकन प्रतिवेदन तैयार किया गया है, जो कि वैधानिक एवं उचित है ।

(4) आवेदिका की सर्वे कमांक 634/1/2 भूमि से सर्वे कमांक 639 की भूमि लगी नहीं है, और राजस्व निरीक्षक द्वारा सर्वे कमांक 637, 638, 640 एवं 641 के भूमिस्वामियों को सूचना देकर उनके समक्ष सीमांकन किया गया है ।

प्रत्युत्तर में आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि मौके पर नाला था, तब सीमांकन प्रतिवेदन में नाले का उल्लेख करना चाहिए था, जो नहीं किया गया है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्क में उठाये गये आधारों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के सीमांकन प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा राजस्व निरीक्षक को प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है, परन्तु राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन के सम्बन्ध में आवेदक सहित पड़ोसी कृषकों सीमांकन के सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई सूचना पत्र जारी नहीं किया गया है क्योंकि प्रकरण में कोई सूचना पत्र संलग्न नहीं है । इससे स्पष्ट है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन की कार्यवाही आवेदक सहित पड़ोसी कृषकों की उपस्थिति में नहीं की गई है । इसके अतिरिक्त संहिता की धारा 129 के अंतर्गत सीमांकन में हितबद्ध व्यक्तियों को सूचना दी जाना आज्ञापक प्रावधान है । सीमांकन पंचनामा में केवल यह उल्लेख किया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि के पश्चिम मेढ़ के पैकी भाग पर सीमेंट कांकीट का रास्ता बना है और इसी सर्वे कमांक के पैकी भाग पर

एक पक्का मकान बना हुआ है, जिसमें परिवार निवास करता है, लेकिन यह उल्लेख नहीं है कि उस मकान में कौन निवास करता है और क्या उसे सीमांकन की सूचना दी गई है और वह उपस्थित हुआ है । इस सम्बन्ध में आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा यह आधार लिया जा रहा है कि उसके द्वारा जनहित में रास्ते हेतु भूमि दी गई है और उसका पक्का मकान बना हुआ है । सीमांकन पंचनामा में उल्लेख किया गया है कि स्थायी मेढ़ो एवं चौमेढ़ो को आधार मानकर जरीब चलाकर सीमाचिन्ह निर्धारित किये गये है, परन्तु यह स्पष्ट उल्लेख नहीं है कि कौन कौन से और किस प्रकार के सीमाचिन्ह निर्धारित किये गये हैं । इस प्रकार सीमांकन पंचनामा अधूरा होकर अस्पष्ट है । दर्शित परिस्थितियों में राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का किया गया सीमांकन पूर्णतः अवैधानिक एवं अनुचित है, जिसके आधार पर पारित सीमांकन आदेश भी विधिसंगत एवं न्यायिक नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर नायब तहसीलदार, इन्दौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 7–6–2012 निरस्त किया जाता है । निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर